



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश संख्या-04/प्रा.आ.(संतप्त परिवार)-03/2024-59(आ.)/आ.प्र.0, राँची दिनांक-10.10.2025

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गोड्डा।

विषय — वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा- अग्निकाण्ड से संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के निमित्त राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल राशि 9,12,500/- (नौ लाख बारह हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग — विभागीय स्वीकृत्यादेश सं.-82(स्वी.) दिनांक-24.06.2025

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

बजट शीर्ष	आवंटित राशि
मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि लघु शीर्ष-101-आनुग्राहिक राहत उप शीर्ष-03-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान 79-सहायता अनुदान सामान्य विपत्र कोड-39-S-2245-02-101-03-00-06-79	9,12,500/- (नौ लाख बारह हजार पाँच सौ) रुपये मात्र।

2. यह आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-21.05.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय-03(I) के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त निर्णय निम्नवत् है :-

“प्राकृतिक आपदा - बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित एवं सुखाड़ छोड़कर) से संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के निमित्त जिलों को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख) रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष-03- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्रा कोड-39-S-2245-02-101-03-00-06-79) में 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये की राशि उपबंधित है।” जिलावार आवंटित राशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	गोड्डा	9,12,500

- उक्त आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा-अग्निकाण्ड से प्रभावित संतप्त परिवार हेतु अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I दिनांक-11.07.2023 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2021-NDM-I दिनांक-12.01.2022 में अंकित प्राकृतिक आपदा-Cyclone, Earthquake, Fire, Flood, Tsunami, Hailstorm, Landslide, Avalanche, Cloud Burst, Pest Attack and Frost & Cold Wave (सुखाड़ छोड़कर) से प्रभावित संतप्त परिवार के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुकवार आवंटित की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद-मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।
- अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित/लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- संबंधित उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार भौतिक सत्यापन के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक आश्रित/लाभुक को ही हो रहा है एवं आश्वस्त हो लेंगे कि अनुग्रह अनुदान भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।
- उपायुक्त के कार्यालय में अभिलेखों को नियमानुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक लाभुक का पूर्ण विवरण, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु का पूर्ण साक्ष्य यथा - पोस्ट मार्टम प्रतिवेदन, मृत्यु प्रमाण-पत्र/चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा भुगतान की विवरणी उपलब्ध हो। उक्त अभिलेख को अंकक्षण हेतु संरक्षित रखा जायेगा।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
- विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०-1 में पूर्ण विवरण विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०-5 में विभाग को व्यय विवरण समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षांत के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व संबंधित उपायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

13. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I दिनांक-11.07.2023 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार मासिक व्यय विवरण विभाग को संबंधित उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
14. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।
15. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
16. महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
17. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016, वित्त नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
19. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
10/12/25

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापक:-04/प्रा.आ.(संतप्त परिवार)-03/2024-59(आ.)/आ.प्र.0, राँची दिनांक-10.10.2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची एवं संबंधित प्रशाखा-08, आपदा प्रबंधन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/25

सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D)

चाहू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

1

पत्र संख्या - 03/2024/59(AA)

दिनांक - 10-Oct-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संनम परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	65536	GDDDDAD020 ANJALI YADAV DY. COMMISSIONOR, GODDA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	912,500.00 रुपये नौ लाख बारह हजार पाँच सी



योग: रुपये नौ लाख बारह हजार पाँच सी

क्रमिक योग:

(Signature)
10/10/25
(RAJESH KUMAR SHARMA)
SECRETARY

912,500.00